क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	5/9/23	प्रार्थी पेश हुआ। वकील वादी मय वादी के उपस्थित होकर लिखा पी.एस. पेश किया। प्रार्थी का अवलोकन किया। पाकर वादी का वाद लिखे पी.एस. के आधार पर खारिज किया जाता है। प्रार्थी सुरेश हाजिर हो। आदेश सुने। पारित के हस्ताक्षर।

उपखण्ड अधिकारी
साँभर लेक ✓

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kumar Verma
Date: 2024.02.29 12:15:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner